GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

RBE No.54/2014

S.No. PC-VI/340

No. PC-VI/2011/IC/1 **New Delhi, dated 22/05/2014**

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Subject: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008- Clarification regarding fixation of pay under rule 13 in case of Running staff

Please refer to para 3 of Board's letter No. PC-III/2003/CRC/6 dated 09.10.2003 (RBE No.177/2003) and PC-III/2004/CRC/7 dated 06.04.2004 (RBE No.78/ 2004) advising that the benefit of fixation of pay under Rule 1313 (FR22) (I) (a) (1) R-II would be no longer available in the case of movement from lower grade to higher grade in the non-functional situations where there is no change in duties as in the case of movement from Goods Guards to Sr. Goods Guards and Goods Drivers to Sr. Goods Driver etc. However, the benefit of fixation under above rule would be admissible in the cases of functional promotion such as Sr. Goods Guard to Passenger Guards and Sr. Goods Drivers to Passenger Drivers etc. though in identical scale of pay. The above methodology was in supersession of that advised vide Board's letter No. PCIII/93/CRC/1 dated 14.07.1993 (RBE No.106/93).

2. Consequent upon recommendations of 6th CPC as accepted by government, a new pay structure comprising running pay bands and Grade Pay has come into force w.e.f. 1.1.2006 and methodology of pay fixation in the revised pay structure is stipulated in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 read with schedules circulated vide Board's letter No.PC VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.09.2008 and various clarifications issued on subsequent dates. Further various Grades in the categories of Running staff (in pre-revised scales Rs.5000-8000, 5500-9000 and 6000-9800) have been merged and provisional revised designations of merged grades have been issued vide Board's letter No. PC-VI/2008/I/1/1 dated 14.09.2010 (PC-VI No. 226; RBE No. 134/2010). Further a new component of 'Additional Allowance' has been introduced. Fixation of pay on promotion from one grade pay to another in revised pay structure effective from 01.01.2006 is governed by Rule 13 of RS (RP) Rules, 2008, which provides for benefit of one notional increment at the time of such fixation. Further, benefit of pay fixation as above has been permitted in certain specified situation of pay fixation from one category of running staff to another in same Pay Band and Grade Pay vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013 (PC-VI-No. 317; RBE No.95/2013).

...2/-

3. However, clarifications are being sought from various Railways regarding methodology of pay fixation to be followed in various functional and non-functional situations concerning running staff in revised pay structure effective from 1.1.2006. The issue has been under examination in consultation with Ministry of Finance/DOP&T and it is clarified that in various situations of fitment / promotion of Running staff in Revised pay structure, fixation of pay would be as follows:

S.No.	Position in 6th CPC pay structure		
	Feeder category*	**Fed/Promotional category***	**Remarks**
LOCO PILOTS			
1	Asstt.Loco Pilot PB1 GP Rs.1900	Sr. Asstt. Loco Pilot(Non functional) PB1 GP Rs. 2400	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
2	Sr.Asstt.Loco Pilot (Non-functional) PB1 GP Rs.2400	Loco Pilot (Shunting) Grade II PB1 GP Rs.2400	Functional promotion in same Pay Band / Grade Pay following non functional placement. Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules,2008 would **<u>not</u>** be admissible
3	Loco Pilot (Shunting) Grade II PB1 GP Rs.2400	Loco Pilot (Shunting) Grade I (Non Functional) PB2 GP Rs.4200	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
4	Loco Pilot (Shunting) Grade I (Non Functional) PB2 GP Rs.4200	Loco Pilot (Goods) PB2 GP Rs.4200	Functional promotion in same Pay Band / Grade Pay following non-functional placement. Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules,2008 would **<u>not</u>** be admissible
5	Loco Pilot (Goods) PB2 GP Rs.4200	Loco Pilot (Pass.) PB2 GP Rs.4200+ Rs.500 (Addl.Allowance)	**Benefit of promotional increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 Rules permitted vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013.**
6	Loco Pilot (Pass.) PB2 GP Rs.4200+ Rs.500 (Addl.Allowance)	Loco Pilot (Mail) PB2 GP Rs.4200+ Rs.1000 (Addl.Allowance)	**Benefit of promotional increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 Rules permitted vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013.**

GUARDS			
7	Asstt.Guard / Brakesman PB1 GP Rs.1900	Sr.Asstt.Guard/ Sr.Brakesman (Non-functional) PB1 GP Rs.2400	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
8	Sr.Asstt.Guard/ Sr.Brakesman (Non-functional) PB1 GP Rs.2400	Goods Guard PB1 GP Rs.2800	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
9	Goods Guard PB1 GP Rs.2800	Sr. Goods Guard (Non-functional) PB2 GP Rs.4200	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
10	Sr.Goods Guard (Non-functional) PB2 GP Rs.4200	Sr.Passenger Guard PB2 GP Rs.4200	Functional promotion in same Pay Band / Grade Pay following non-functional placement. Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would **not** be admissible
11	Sr.Passenger Guard PB2 GP Rs.4200	Mail/Express Guard PB2 GP Rs.4200+ Rs.500 (Addl.Allowance).	**Benefit of promotional increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 Rules permitted vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013.**

(* Provisional revised designations as per Board's letter No. PC-VI/2008/I/1/1 dated 14.09.2010 (PC No. 226; RBE 134/2010)

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

26/5/14
(Vikram Gulati)
Director, Pay Commission-II
Railway Board.

No. PC-VI/2011/IC/1 **New Delhi, dated 22/05/2014**

Copy (with 40 spares)) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railway), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways.

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 54/2014

क्र. सं. पीसी- VI/340

सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 **नई दिल्ली, दिनांक 22.05.2014**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाकसूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - रनिंग कर्मचारियों के मामले में नियम 13 के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

कृपया बोर्ड के दिनांक 09.10.2003 के पत्र सं. पीसी-III/2003/सीआरसी/6 (आरबीई सं. 177/2003) और दिनांक 06.04.2004 के पत्र सं. पीसी-III/2004/सीआरसी/7 (आरबीई सं. 78/2004) के पैरा 3 का अवलोकन करें जिसमें सूचित किया गया है कि गैर-कार्यात्मक परिस्थितियों में निम्नतर ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में संचलन होने के मामले में, जैसा कि गुड्स गार्ड से सीनियर गुड्स गार्ड और गुड्स ड्राइवर से सीनियर गुड्स ड्राइवर आदि में संचलन होने के मामले में जहाँ ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नियम 1313 (एफआर 22) (I) (ए) (1)आर-II के अंतर्गत वेतन के निर्धारण का लाभ आगे प्राप्त नहीं होगा। बहरहाल सीनियर गुड्स गार्ड से पैसेंजर गार्ड और सीनियर गुड्स ड्राइवर से पैसेंजर ड्राइवर आदि जैसी कार्यात्मक पदोन्नति के मामले में एक समान वेतनमान होने के बावजूद उपर्युक्त नियम के अंतर्गत वेतन के निर्धारण का लाभ स्वीकार्य होगा। उपर्युक्त प्रावधान बोर्ड के दिनांक 14.07.1993 के पत्र सं. पीसीIII/93/सीआरसी/1 (आरबीई सं. 106/93) में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर है।

2. सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 01.01.2006 से एक नई वेतन संरचना लागू की गई है जिसमें सतत वेतन बैंड और ग्रेड पे है और संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारिण करने की कार्यविधि बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसीVI/2008/आई/आरएसआरपी/1 के तहत परिपत्रित अनुसूचियों के साथ पठित रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और इसके बाद की तारीखों को जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों में निर्धारित की गई है। इसके अलावा, रनिंग कर्मचारियों की कोटियों में विभिन्न ग्रेडों (संशोधन पूर्व के ₹ 5000-8000, ₹ 5500-9000 और ₹ 6000-9800 के वेतनमानों में) का विलय कर दिया गया है और विलय किए गए ग्रेडों के प्रोविजनल संशोधित पदनाम, बोर्ड के दिनांक 14.09.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/1/1 (पीसी-VI सं. 226; आरबीई सं. 134/2010) के तहत जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, "अतिरिक्त भत्ता" एक नया घटक आरंभ किया गया है। 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अनुसार किया जाता है जिसमें इस प्रकार के निर्धारण के समय एक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के पत्र सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 (पीसी-VI सं. 317, आरबीई सं. 95/2013) के तहत उपर्युक्त वेतन निर्धारण के लाभ की अनुमति एक ही वेतन बैंड और ग्रेड पे में रनिंग कर्मचारियों की एक कोटि से दूसरी कोटि में वेतन निर्धारण की कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अनुमेय की गई है।

3. बहरहाल, 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में रनिंग कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न कार्यात्मक एवं गैर-कार्यात्मक परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली वेतन निर्धारिण की कार्यविधि के संबंध में विभिन्न रेलों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। यह मामला वित्त मंत्रालय/डी.ओ.पी.टी. के साथ विमर्श करते हुए निरीक्षणाधीन रहा है और यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित वेतन संरचना में रनिंग कर्मचारियों के संचलन (फिटमेंट)/पदोन्नति की विभिन्न परिस्थितियों में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

क्र. सं.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में स्थिति		
	फीडर कोटि *	संभरण(fed)/पदोन्नति कोटि *	टिप्पणी
लोको पायलट			
1.	सहायक लोको पायलट पीबी1, ग्रेड पे ₹ 1900/-	वरिष्ठ सहायक लोको पायलट (गैर-कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
2.	वरिष्ठ सहायक लोको पायलट (गैर-कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड ॥ पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400	गैर-कार्यात्मक तैनाती के बाद समान वेतन बैंड/ग्रेड पे में कार्यात्मक पदोन्नति। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य **नहीं** होगी।
3.	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड ॥ पीबी1 ग्रेड पे ₹ 2400/-	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड । (गैर कार्यात्मक) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
4.	लोको पायलट शंटिंग) ग्रेड ।	लोको पायलट (गुड्स) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	गैर-कार्यात्मक तैनाती के बाद समान वेतन बैंड/ग्रेड पे में

	(गैर-कार्यात्मक) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-		कार्यात्मक पदोन्नति। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य **नहीं** होगी।
5.	लोको पायलट (गुड्स) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	लोको पालयट (पैसेंजर) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/- + ₹ 500 (अतिरिक्त भत्ता)	**बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के पत्र सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 के तहत रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम,2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा।**
6.	लोको पायलट (पैसेंजर) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/- +₹ 500/- (अतिरिक्त भत्ता)	लोको पायलट (मेल) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/- + ₹ 1000/- (अतिरिक्त भत्ता)	**बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के पत्र सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 के तहत रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम,2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा।**
गार्ड			
7.	सहायक गार्ड/ब्रेक्समैन पीबी1, ग्रेड पे 1900/-	वरिष्ठ सहायक गार्ड/वरिष्ठ ब्रेकमैन (गैर-कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400/-	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
8.	वरिष्ठ सहायक गार्ड/वरिष्ठ ब्रेकमैन (गैर-कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400/-	गुड्स गार्ड पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2800/-	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
9.	गुड्स गार्ड पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2800/-	वरिष्ठ गुड्स गार्ड (गैर-कार्यात्मक) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
10.	वरिष्ठ गुड्स गार्ड (गैर-कार्यात्मक), पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	वरिष्ठ पैसेंजर गार्ड पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	गैर-कार्यात्मक तैनाती के बाद समान वेतन बैंड/ग्रेड पे में कार्यात्मक पदोन्नति। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008

			2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
11.	वरिष्ठ पैसेंजर गार्ड पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	मेल/एक्सप्रेस गार्ड पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/- + ₹ 500/- (अतिरिक्त भत्ता)	**बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के पत्र सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 के तहत रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम,2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा।**

(* बोर्ड के दिनांक 14.09.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/1/1 (पीसी सं. 226, आरबीई 134/2010) के अनुसार, प्रोविजनल संशोधित पदनाम)

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

26/5/14

(विक्रम गुलाटी)
निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 नई दिल्ली, दिनांक 22.03.2014 (26)

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे